

मध्यप्रदेश शासन  
आयुष विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

-आदेश-

भोपाल, दिनांक 24/6/2017

कमांक एफ 2-2/2017/1/59: मंत्रि परिषद द्वारा लिये गए निर्णय दिनांक 02.12.2016 के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2017 के अनुक्रम में ऐलोपैथी चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सहस्थापित एकीकृत आयुर्वेद औषधालयों में ऐलोपैथी चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से, निम्नलिखित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक-4 में दर्शाये स्थान पर एतद् द्वारा प्रशासकीय आधार पर पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	आयुर्वेद चिकित्सक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
1	डा० विश्वदीपक त्रिपाठी,	शा.आयु.औष. -मुडा,जिला-सतना	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. बनसुकली, शहडोल
2	डा० दीपक उपाध्याय,	शा.आयु.औष. -ढाकोनी,जिला-अशोकनगर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. अथाईखेड़ा, अशोकनगर
3	डा० ज्योतिबाला वर्मा,	शा.आयु.औष. -मंडावर,जिला-राजगढ़	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. टोडी, राजगढ़
4	डा० प्रदीप पटेल	शा.आयु.औष. निगाहरी, जिला-उमरिया	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. विलासपुर, उमरिया
5	डा० धर्मराज सिंह देशमुख	शा.आयु.औष. -सौसरजिला-छिंदवाडा	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. चीचली, नरसिंहपुर
6	डा० पंकज मेश्राम,	शा.आयु.औष.-पुरानी जैतपुरी, जिला-बालाघाट	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. मोहगांव, बालाघाट
7	डा० अशीष जैन	शा.आयु.औष. बरदा, जिला-विदिशा	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. कुल्हार, विदिशा
8	डा० विनोद पजले	शा.आयु.औष. कटौकी, जिला-बालाघाट	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. टाटरी, मण्डला

9	डा० मनीष मरकाम,	शा.आयु.औष.-जप्ता, जिला-बालाघाट	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. ढीमरखेड़ा, कटनी
10	डॉ. सर्वेश पटेल	शा. आयु. औष. पडवार, जबलपुर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सिंगौद, जबलपुर
11	डा० विनोद अहिरवार	शा.आयु.औष.-पामाखेडी जिला-सागर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सुनवारा, सिवनी
12	डा० नवनीत द्विवेदी,	जिला-सीहोर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. उदनखेड़ी, राजगढ़
13	डा० अभिषेक गोयल	शा.आयु.औष. सीहोर जिला-शिवपुरी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सिरसौद (करैरा), शिवपुरी
14	डा० नीरज दाहिया,	शा.आयु. औष-चुरवारी,जिला-सतना	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. माड़ा, सिंगरौली
15	डा० गोपाल मण्डलोई	शा.आयु.औष. -नीमचजिला-नीमच	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. नावली, मंदसौर
16	डा० अभिषेक तोमर	शा.आयु.औष.-कोलारस जिला-शिवपुरी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. खरैह, शिवपुरी
17	डा० रामप्रकाश गुर्जर	शा.आयु.औष. अजनोद जिला-इन्दौर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. समोई, झाबुआ
18	डा० प्रदीप खरे,	शा.आयु.औष. मडला, जिला-पन्ना	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. खन्नीधी, शहडोल

19	डा० वीरेन्द्र वाडिया	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सुनवारा, सिवनी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. बखारी, सिवनी
----	----------------------	--	--

- उपरोक्त नवीन पदस्थापना पर संबंधित चिकित्सक को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त आयुर्वेद चिकित्सक प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करेंगे तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापना अवधि तक ही प्रशिक्षण की सीमा तक, आवश्यकतानुसार एलोपैथी पद्धति से भी उपचार कर सकेंगे।
- संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. के संलग्न पत्र क्रमांक/01/जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2017/1535 भोपाल दिनांक 01.05.2017 के तारतम्य में कार्य के संचालन हेतु दिये गए दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय में कार्य सम्पादन व व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी, जो इस आदेश के साथ संलग्न होकर इसी आदेश का भाग माना जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार




(पी. आर. कतरोलिया)  
उप सचिव

म.प्र. शासन आयुष विभाग  
भोपाल दिनांक 24/6/2017

पृ. क्रमांक/एफ 2-2/2017/1/59  
प्रतिलिपि- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष विभाग।
2. आयुक्त, आयुष संचालनालय म.प्र. भोपाल।
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय.....म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुष कारी.....म.प्र.
6. समस्त जिला आयुष अरिी.....म.प्र.  
की ओर प्रेषित कर निर्देश किया जाता है कि आदेश के पालन में संबंधित को तत्काल कार्यमुक्त करें। उ जारी होने के दिनांक से संबंधित चिकित्सक के किसी भी प्रकार के अवसंचालनालय की पूर्व अनुमति बिना स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
7. संबंधित डॉ.....म.प्र.  
को प्रेषित कर निर्देशित जाता है कि तत्काल नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें, अउनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।  
आदेश नस्ती।
- 8.



उप सचिव  
म.प्र. शासन आयुष विभाग